हरसाराम बनाम नोन्द केन्द वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मु० नं० - 12/2005

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
22/5/18	पत्रावली पेश हुई। वादी हाजिर उपस्थित। प्रार्थी ने अदालत को बताया कि उसकी खरीदशुदा जमीन का नामान्तरण उसके पक्ष में हो चुका है। जो कि वर्तमान जमाबंदी 2013-2014 में हदकाश्त रकबा हदबस्त 12184/1220 का 1503 रकबा 1.22 हैक्टेयर में दर्ज है। अतः ~~प्रार्थी~~ (Suit) को विड्रॉ करने की इजाजत दी जाती है। पत्रावली फोलियो होकर नस्ती के रूप में जमा दाखिल दफ्तर रहे। नियमानुसार 23.05.2018 को RLA, NIDA-2013 के तहत AJK अधिनियम में रजिस्टर्ड कराया गया।

हरसाराम

(प्रहलादराम)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सीकर